Title: Need to ensure that Rajasthan gets its due share of water in accordance with the agreement with the adjoining States.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और अन्य प्रदेशों के मध्य समझौते के अनुसार पानी नहीं मिलने के कारण राजस्थान प्रदेश के किसानों के सामने विकट समस्या पैदा हो गयी है। 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.एम.एफ. अधिकृत पानी राजस्थान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है व पानी के वितरण के लिए अभी भी हैड्वर्क्स का नियंत्रण पंजाब के हाथों में है, जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में स्पट रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि हैड् वर्क्स का केन्द्रीय रूप से नियंत्रण भाकडा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के पास रहेगा। इसमें राजस्थान के प्रतिनिधि का होना भी अत्यंत आवश्यक है, जबकि इसमें पंजाब, हरियाणा का प्रतिनिधित्व है।

राजस्थान को पिछले काफी वर्षो से सूखे का सामना करना पड़ रहा है, अब नहर में पानी की कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नहर का मुख्य क्षेत्र भारत-पाक सीमा के पास होने के कारण यह सुरक्षा का विय भी है। पानी की कमी के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू आदि के किसान आंदोलित हैं, अगर इन्हें इनका वाजिब हक नहीं मिला तो किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। पानी इस क्षेत्र का जीवनमरण का प्रश्न है। दिनांक 2.12.2004 को राजस्थान के सभी सांसदों ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर इस समस्या से अवगत करवाया है।

अतः भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या को हल करने में राजस्थान की हर संभव सहायता कर पानी का वाजिब हक दिलवाने का कट करें।